

खास-खबरें

एफडीपी के तीसरे दिन शोध पद्धति और थीसिस लेखन पर मंथन



नईदुनिया, प्रतिनिधि, मंदसौर: प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सलेंस, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) के तीसरे दिन 23 अक्टूबर को अनुसंधान पद्धति, पीएचडी थीसिस के प्रारूप और संदर्भ लेखन पर तकनीकी सत्र हुए। कार्यक्रम प्राचार्य प्रो. जे.एस. दुबे के मार्गदर्शन में ऑफलाइन आयोजित किया गया। पहले सत्र में मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस रिसर्च, उज्जैन के निदेशक डॉ. यतींद्र सिंह सिसौदिया ने ‘रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड प्रोजेक्ट राइटिंग’ विषय पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि शोध परियोजना की सफलता मजबूत अनुसंधान पद्धति और स्पष्ट प्रस्ताव पर निर्भर करती है।

इंदौर नाके-स्टेशन ब्रिज तक बनेगी फोरलेन सड़क

नईदुनिया, प्रतिनिधि, सीहोर: शहर में इंदौर नाके से गणेश मंदिर चौराहा, लुनिया चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन ब्रिज तक करीब 4 किलोमीटर लंबी फोरलेन सीसी सड़क बनाई जाएगी। इस परियोजना पर 44 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंदौर नाके से स्टेशन ब्रिज तक जाने वाला यह मार्ग लंबे समय से खराब हालत में था। सड़क पर गड्ढे और रफ़ता संकरा होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी। साथ ही, ट्रैफ़िक का दबाव भी बना रहता था। फोरलेन सड़क बनने से इस मार्ग पर आवागमन सुगम होने की उम्मीद है। परियोजना के तहत सड़क निर्माण के साथ विद्युतीकरण का काम भी किया जाएगा।

कुबेरेश्वरधाम पर प्रदोष व्रत का आयोजन श्रद्धालुओं ने की कंकर-शंकर की पूजा-अर्चना

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर:भगवान और भक्त का रिश्ता किसी औपचारिक नियम से नहीं, बल्कि सच्चे भाव और प्रेम से जुड़ा होता, जब भी भक्त पर कोई कठिनाई आती है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करते हैं। उक्त विचार जिला मुख्यालय के समीपस्थ कुबेरेश्वरधाम पर अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहे। कुबेरेश्वरधाम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से मां अन्नपूर्णा सीता रसोई से समिति की ओर से पंडित विनय मिश्रा और

पंडित समीर शुक्ला सहित अन्य के द्वारा प्रसादी का वितरण किया जाता है। शुक्रवार को यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2 क्विंटल मावे की बर्फी के प्रसादी भोजन के साथ वितरण की गई।

विटलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी मनोज दीक्षित मामा ने बताया कि कुबेरेश्वरधाम पर रविवार को शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन के साथ खीर की प्रसादी का वितरण किया जाएगा। पवित्र कंकर-शंकर की

कलेक्टर ने झोंकर में जनविश्वास अभियान शिविर में समस्याओं का किया निराकरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर: मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत शुक्रवार को जनपद पंचायत शाजापुर की ग्राम पंचायत झोंकर स्थित हायर सेकेंडरी विद्यालय परिसर में शिविर आयोजित किया गया। कलेक्टर डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े ने आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर उनकी समस्याओं के निराकरण की कार्रवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सीएमएचओ डॉ. कमला आर्य ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। विद्युत विभाग के अधिकारी ने सूर्य गृह योजना और बिजली बचत की जानकारी दी। कृषि विभाग ने अल्प वर्षा को देखते हुए कम सिंचाई में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों की बुवाई तथा स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धति अपनाने की सलाह दी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने पेयजल संकट से बचने के लिए पानी की बर्बादी रोकने की अपील की।

हितग्राहियों को बाटे स्वीकृति पत्र और लाभ: कलेक्टर ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत दो हितग्राहियों को कुल 12

राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल स्पर्धा के लिए पांच खिलाड़ी रवाना

गंजबासौदा। सेंट एसआरएस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के पांच खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। चयनित खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इंदौर रवाना हो गए हैं। प्रतियोगिता 22 से 27 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। चयनित खिलाड़ियों में कक्षा 11 की सिद्धि शर्मा, कक्षा 12 के सुमित दांगी, कक्षा 9 की अंशी सेन और पलक राय तथा कक्षा 6 की प्रिया सूर्यवंशी शामिल हैं। खिलाड़ियों के चयन पर विद्यालय के शिक्षकों और स्कूल परिवार ने उन्हें बधाई देते हुए प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

अनाज को बीज बताकर बेचने पर दो फर्मा को निरीक्षण

गंजबासौदा। कृषि उपज मंडी के कुछ व्यापारियों द्वारा चना, मसूर और गेहूं को बीज बताकर किसानों को बेचे जाने की जानकारी मिलने पर प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त दल ने कार्रवाई की। अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती अनुभा जैन की उपस्थिति में दल ने दीप वाला ट्रेडर्स और गगन ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों को बीज विक्रय करते पाए जाने पर मौके पर पंचनामा तैयार किया गया।

दल में कृषि विभाग के बीज निरीक्षक सोनू सिंह लोधी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सूर्यभान सिंह थानेश्वर और मंडी निरीक्षक आकाश जैन शामिल रहे। अन्य फर्मो का भी निरीक्षण कर भंडारण की जांच की गई। कार्रवाई का प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि चना, मसूर, सरसों और गेहूं की बुवाई के लिए बीज केवल अधिकृत बीज लाइसेंसधारी विक्रेता से खरीदें और पक्का बिल अवश्य लें।

अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने कन्या महाविद्यालय का किया आकस्मिक निरीक्षण



नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा: प्रदेश स्तरीय जन विश्वास अभियान के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने आज स्थानीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, उपलब्ध संसाधनों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और छात्राओं को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. बी.डी. अहिरवार ने श्री राजन को परिसर का भ्रमण कराया। इस अवसर पर उन्होंने वाणिज्य संकाय की छात्राओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न व्यावसायिक मॉडल, गृह विज्ञान की छात्राओं द्वारा तैयार पौष्टिक व्यंजन तथा लाइब्रेरी में लगाई गई पुस्तक प्रदर्शनी को अवलोकन किया और छात्राओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर अध्ययन और प्रायोगिक कार्यों के स्थिति देखी।

प्राचार्य ने महाविद्यालय में संचालित शैक्षणिक एवं सच-पाठ्यक्रम गतिविधियों तथा प्रयोगशालाओं के सुचारु संचालन की जानकारी दी। कक्षाओं के नियमित एवं व्यवस्थित संचालन पर अपर मुख्य सचिव ने संतोष व्यक्त किया।

निरीक्षण के दौरान अनुपम राजन ने छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी पढ़ाई, निजी कक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, छात्रवृत्ति योजनाओं तथा अध्ययन से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। छात्राओं ने अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया।

अपर मुख्य सचिव ने महाविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन एवं खेल विभाग में संचालित ताइक्वांडो और योग प्रशिक्षण गतिविधियों का भी अवलोकन किया। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्राओं में शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जनविश्वास अभियान के तहत संभागायुक्त ने अमूल प्लांट का किया निरीक्षण



नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: जनविश्वास अभियान के तहत उज्जैन संभागायुक्त श्री आशीष सिंह ने विक्रम उद्योगपुरी स्थित अमूल प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट में दूध संकलन से लेकर विभिन्न दुग्ध उत्पादों के निर्माण और उनकी बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली।

निरीक्षण का उद्देश्य औद्योगिक इकाई की कार्यप्रणाली को समझना, उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था में आने वाली समस्याओं का फीडबैक लेना तथा बेहतर कार्यप्रणालियों को सांची दुग्ध संघ में अपनाने का संभावनाओं पर विचार किया जा सके। निरीक्षण के दौरान एडीजी श्री राकेश गुप्ता और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) उज्जैन के कार्यकारी संचालक श्री राजेश राठौड़ भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्लांट की उत्पादन व्यवस्था को समझा और यह जाना कि किसानों से दूध एकत्रित होने के बाद किस प्रकार

उसे प्रसंस्करण के लिए प्लांट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद दूध से विभिन्न उत्पाद तैयार करने, उनकी गुणवत्ता बनाए रखने और तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया गया।

किसानों से उपभोक्ताओं तक की पूरी व्यवस्था को समझा संभागायुक्त श्री आशीष सिंह ने बताया कि जनविश्वास अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से व्यवस्थाओं को समझने और उनमें सुधार की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में वृंदावन ग्राम का भ्रमण करने के साथ विक्रम उद्योगपुरी स्थित अमूल प्लांट का निरीक्षण किया गया। अमूल प्लांट में दूध संकलन से लेकर उत्पाद निर्माण और उनकी बिक्री तक की पूरी श्रृंखला को समझा गया है। इस दौरान यह जानने का प्रयास किया गया कि पूरी प्रक्रिया में किस तरह काम होता है और प्लांट के संचालन में किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आ रही है।

खनिज विभाग ने 14 नाव इंजन और पनडुब्बी मशीन की जब्त



जाने वाले उपकरण जब्त किए गए। विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन में लगे लोगों में हड़कंप मच गया।

तीन गांवों के घाटों पर कार्रवाई: खनिज विभाग ने छीपानेर, रानीपुरा और चौरसाखेड़ी के नर्मदा घाटों पर कार्रवाई कर

न्यायालय तहसीलदार, तहसील बासोदा, जिला विदिशा म.प्र

प्रकरण क्रमांक-0076/३-३/2008-२9
1. कैलाशचन्द पुत्र हजारीलाल जैन निवासीगण जे. के सिधई टॉवर के पास भोपाल ...**आवेदक** ...**बनाम** 1. आशा कुमारी पुत्री द्वाराका प्रसाद निवासीगण कायस्थ मेहोला देवालपुर, जिला इंदौर 2. आमप्रकाश पुत्र नाथुराम सेन निवासी शंकर मंदिर के पीछे, उदयपुर, जिला विदिशा...**अनावेदकगण**
संशोधित वृत्तिभि
एतद् द्वारा अनावेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदक कैलाशचन्द पुत्र हजारीलाल जैन निवासी जे.के सिधई टॉवर के पास भोपाल के द्वारा ग्राम बेहलोट स्थित भूमि आराजी क्रमांक 78/2/1 रकबा 0.460 है. भूमि पर न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल के प्रकरण क्रमांक 1109/ अपील/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 27/01/2026 के अनुक्रम में बटन कायमी होतु प्राप्त। अतः उक्त संबंध में किसी भी अनावेदकगण/हितवाद् पक्षकार को कोई आपत्ति अगर हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं या जर्बे अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 30/10/2026 को मेरे हस्तक्षर के जवाब में प्रस्तुत करें। बाद म्यद गुजर जाने पश्चात प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

तहसीलदार तहसील बासोदा

Ag 2033

कार्यालय रा.नि.मं-04 बिलखिरिया तहसील-हुजूर जिला-भोपाल (म.प्र.)
रा.प्र.क्र.-0720/अ-12/2026-27
ग्राम का नाम- सेवनीया ओंकारा
प.ह.नं.- 38 तहसील हुजुर जिला-भोपाल
सूचना पत्र

प्रति. 1. नरेंद्र केसरीचण पुत्र ख जानीमल केशवानी निवासी भी ३1/3333 मेन रोड ईश्वरदास कम्पलीबाई पत्नी स्व. ईश्वरदास निवासी-बी 31/3333 मिदवाली हरे के पास मेन रोड बैरगढ भोपाल मध्यप्रदेश। 3. सुरेन्द्र पवार पुत्र गुलाब सिंह पवार निवासी 35 स्ट्रीट 3 छेला केपी छेला भोपाल मध्यप्रदेश। 4. अरविद अजित पुत्र अजित मोहम्मद निवासी-172 बी शेवट निजामपुर कॉलोनी भोपाल मध्यप्रदेश। 5. मो. फजल पुत्र सादत खान निवासी इन्दुरी भोपाल मध्यप्रदेश। 6. लालचंद सुरेश मानज पिता आलमचंद केसरीचण निवासी मुन्नी पुर्णिया आलमचंद केसवानी निवासी- डब्ल्यू 85 लेक पर्व गाँव गौडगंठ रोड भोपाल मध्यप्रदेश। 6. समस्त मेहिया कृष्क एवं ग्राम चौकीदार। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरेश केसवानी पुत्र आलमचंद केसवानी निवासी भी 31/3333 मेन रोड बैरगढ भोपाल (म.प्र.) द्वारा ग्राम सेवनीया ओंकारा प.ह.नं.- 38 तहसील हुजुर जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा नंम्बर 212/2, 213 रकबा 3.320 है. 0.790 है. इस प्रकार कुल खसरा नंम्बर 02 कुल रकबा 4.110 है.भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 29/10/2026 को समय दोपहर 1:00 बजे से स्थल पर किया जायेगा। पक्षीी खातेवर होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो, निम्न दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के खल एवं अनुगोपिक दस्तावेज सहित उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोकना नहीं जायेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। आज दिनांक 22/10/2026 को मेरे हस्तक्षर से जारी किया गया। **नोट:-** 1. अगरहितवादी की दायरे से जारी किया गया। 2. आवेदक द्वारा स्वयं के खय से दीनिक समायार पत्र में सूचना पत्र का प्रकाशन कराया जा सकता है।

राजस्व-निरीक्षक रा.नि.म.-04 बिलखिरिया तहसील-हुजूर जिला-भोपाल
2041

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. 03 बैरगढ चौकीली तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)
आवेदन क्र. 0228RD/51-A1PP-30070814
ग्राम का नाम- इमलिया जगर प.ह.नं. 12, तहसील कोलार, जिला भोपाल

सूचना-क्र
प्रति. 01. श्री विवेक खर्चे पिता श्री कृष्ण कुमार खरे व अन्य सहखातेदार, खातेदार-ग्राम-इमलिया जगरग तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 02. श्रीमति हेमलता मीना पतिन श्री मुनेश कुमार मीना, खातेदार-ग्राम-इमलिया जगरग तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 03. श्रीमति अर्चना नरवरिया पत्नी श्री प्रदीप नरवरिया, निवासी अमरावतकला तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.। 04. सर्व साधारण एवं अन्य हितवाद् पक्षकारगण। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रदीप कुमार नरवरिया आत्मज श्री सुवीर सिंह नरवरिया निवासी ग्राम-अमरावतकला तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र. द्वारा ग्राम इमलिया जगरग प.ह.नं. 12 तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 39/2/1/1/2 रकबा 0.2225 है. कुल खसरा नंम्बर 01 कुल रकबा 0.2225 है. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 28.10.2026 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पक्षीसी खातेवर होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो निम्न दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के खल संबंधी एवं अनुगोपिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें सकते हैं। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोकना नहीं जायेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यवश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पक्षीसी भूमिखामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के खय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समायार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 21.10.2026 को मेरे हस्तक्षर से जारी किया गया।

राजस्व-निरीक्षक रा.नि.मं. बैरगढ चौकीली भोपाल (म.प्र.)
2040

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेक्ष कांम्पलेक्स जेनो-1 महारणा प्रताप नगर भोपाल
क्रमांक 4041/राजस्व/भौधिया/26
भोपाल दिनांक 23/10/ 2020

आम सूचना
प्रमाणित किया जाता है कि JINNURM योजना के अंतर्गत नया बसेरा में सर्व क्रमांक-316, श्रीमती कुंदन बाई पत्नी श्री किशोर सिंह के नाम पर किया गया था। परन्तु आवंटि श्रीमती कुंदन बाई का स्वर्गवास दिनांक 02/11/2011 हो जाने के कारण आपत्ति जारी नहीं किया गया था। अब आवेदन पत्र अनुसार आवंटि के पुत्र श्री उमेश सिंह आ. किशोर सिंह ने आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र मय्यु प्रमाण पत्र निस्थाना परी एवं सभी वारिसों की सहमति तथा अन्य दस्तावेज सलनक पर उक्त प्रकोष्ठ का अपने नाम पर नामांतरण चाहा गया। यदि किसी व्यक्ति उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो पब्लिक प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर दस्तावेजो के साथ ओहोहातराक्षीय के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/वादा प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा/ आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
2039

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्रीमती वंदना तोमर पत्नी श्री राजेश सिंह तोमर निवासी-म.नं.-152/1, शांति नगर, शांतिग कांम्पलेक्स के पास, भोपाल (म.प्र.) के खल स्वामित्व एवं अधिपत्य का एक किता प्लाट क्रमांक-138 जी-सेक्टर जो खसरा क्रमांक-24, 25/1/1-जी का अंश भाग स्थित राजहई गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित ग्राम गेहूखेड़ा नगर निगम वाई क्रमांक-84, तहसील कोलार, जिला भोपाल (म.प्र.) जिसका कुल क्षेत्रफल 40X60=2400 वर्गफिट है जिसकी चतुर्थ सीमायें निम्नानुसार है उतर में भूखण्ड क्रमांक-129, दक्षिण में 20 फीट चौड़ा रोड, पूर्व में- भूखण्ड क्रमांक-139 पश्चिम में भूखण्ड क्रमांक-137 को क़य करने हेतु टोकन राशि का भुगतान कर दिया है जिसका अनुबंधपत्र एवं क्रियय पत्र का पंजीयन कराना अभी शेष है। यह कि उक्त भूखण्ड से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संस्था, निगम, सोसायटी, बैंक का कोई हित व अनुबंध, सांथिक बंधक या अन्य किसी प्रकार से कोई हित हो तो वह इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर नीचे लिखे पते पर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें। म्याद समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति मेरे पक्षकार पत्र बंधनकारी नहीं होगी तथा मेरा पक्षकार उपरोक्त वगित भूखण्ड का विद्यय पत्र का पंजीयन कराने हेतु स्वतंत्र होगा।

(एम.जी. मुखरेवा),एडवोकेट 04 आदित्य कांम्पलेक्स, छोला रोड भोपाल। मो.- 93229092128
2038

गृह निर्माण सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल
आम सूचना

ऐशवाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भवन क्रं. जुनियर एम.एल.टी. 215 (डुलेक्स) मण्डल द्वारा श्रीमती शमीम जहाँ पत्नी श्री मोहम्मद नईम के नाम पर हस्तान्तरण आदेश क्र. 628-31 दिनांक 14/02/2007 को हस्तान्तरित किया गया है। जिसका क्रियय विलेख दिनांक 06/01/2007 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्रीमती शमीम जहाँ पत्नी श्री मोहम्मद नईम की दिनांक 14/12/2024 को मृत्यु होने के उपरांत उनके पति श्री मोहम्मद नईम आत्मज स्व. श्री शेख उस्मान के द्वारा उक्त संपत्ति को अपने एकल नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्री राकेश सर्वसेना आत्मज श्री जे.पी. सर्वसेना को आपसी नोटरीकृत क्रियय अनुबंध पत्र दिनांक 14/10/2010 को निम्नादित कर क्रियय कर दिया गया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, पत्र पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्री राकेश सर्वसेना आत्मज श्री जे.पी. सर्वसेना के नाम हस्तान्तरण करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। उक्त दस्तावेजों एवं नोटरीकृत क्रियय अनुबंध पत्र दिनांक 14/10/2010 के आधार पर एकल नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह नि. एवं अयो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल
2037

कार्यालय सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल
आम सूचना

पुराना सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भवन/प्लेट क्रं. जुनियर एम.एन.आई.जी. 92 (प्रथम तल) मण्डल द्वारा श्रीमती राज सर्वसेना पत्नी श्री रविन्द कुमार सर्वसेना के नाम पर भाड़ाकय खरीद आवेदन आदेश क्र. 3007-3009 दिनांक 25/03/1984 को आवंटित किया गया है। श्रीमती राज सर्वसेना द्वारा उक्त संपत्ति श्री राकेश सर्वसेना आत्मज श्री जे.पी. सर्वसेना को आपसी नोटरीकृत क्रियय अनुबंध पत्र दिनांक 14/10/2010 को निम्नादित कर क्रियय कर दिया गया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, पत्र पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्री राकेश सर्वसेना आत्मज श्री जे.पी. सर्वसेना के नाम हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह नि. एवं अयो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल
2036

कार्यालय सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल
आम सूचना

सलतपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मण्डीबाग जिला रायसेन में भूखण्ड/भवन क्रमांक 10 जुनि. एम.आई.जी. (डुलेक्स) मण्डल द्वारा श्री आम प्रकाश श्रीवास्तव आत्मज स्व श्री शिव नारायण श्रीवास्तव के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका क्रियय विलेख दिनांक 25/08/2015 को उप पंजीयक कार्यालय औद्युतलगाण जिला रायसेन से पंजीकृत है। श्री आम प्रकाश श्रीवास्तव आत्मज स्व श्री शिव नारायण श्रीवास्तव पत्नी श्री आम प्रकाश श्रीवास्तव (भाई जी) की दिनांक 15/06/2025, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव पत्नी श्री आम प्रकाश श्रीवास्तव (भाई जी) की दिनांक 18/3/2026, श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री शिव नारायण श्रीवास्तव (भाई) की दिनांक 26/7/2009, सुश्री शीला श्रीवास्तव (बहन) की दिनांक 27/3/2025 सुश्री सरता श्रीवास्तव (बहन) की दिनांक 26/5/2019, श्री शिव नारायण श्रीवास्तव (पिता जी) की दिनांक 19/6/1970 एवं श्रीमती सज्जु बाई श्रीवास्तव (माता जी) की दिनांक 02/02/2013 को मृत्यु होने के उपरांत उनके भाई श्री सरत प्रकाश श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री शिव नारायण श्रीवास्तव के द्वारा उक्त संपत्ति को अपने नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति श्री आम प्रकाश श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री शिव नारायण श्रीवास्तव के नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह नि. एवं अयो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल
2035

कार्यालय सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल
आम सूचना

एकतापुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भवन/प्लेट क्रं. एल.आई.जी. 5/115 (भूतल) मण्डल द्वारा श्री मोहम्मद हयात आलमज श्री ईद मोहम्मद के नाम पर भाड़ाकय खरीद करार के आधार पर आवंटन आदेश क्र. 6446 दिनांक 03/05/1995 को आवंटित किया गया है। जिसका क्रियय विलेख दिनांक 31/05/2006 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री मोहम्मद हयात आलमज श्री ईद मोहम्मद (पिता जी) की दिनांक 23/08/2014 एवं श्रीमती जुवेदा बी पत्नी स्व. श्री मोहम्मद हयात (माता जी) की दिनांक 12/01/2026 को मृत्यु होने के उपरांत उनके पुत्र श्री साजिद खान आलमज स्व. श्री मोहम्मद के पुत्र श्री साजिद खान आलमज से पंजीकृत है। उक्त संपत्ति को अपने एकल नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, मूल आवंटि के अन्य वारिसों का अनपत्ति शपथ-पत्र, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति श्री साजिद खान आलमज स्व. श्री मोहम्मद हयात के एकल नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह नि. एवं अयो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल
2034